स.ए. 20011/4/2020 - हिंदी
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless

खण्ड सं ,9 .के.स.का .परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,
लोधी रोड ,नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3

दिनांक /Dated: 11 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

: **निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक की कार्यवृत्त।**

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (दिसम्बर 2021 तिमाही) दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को 1200 बजे श्री रमेश कुमार सिद्धार्थ, भा.दू.से., निदेशक, स.नि.पु.बे. की अध्यक्षता में ऑनलाइन आयोजित की गई। बैठक में कार्यसूची के अनुसार विचार-विमर्श करके आवश्यक निर्णय लिए गए।

2. बैठक की कार्यवृत्त की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों एवं निदेशालय के सभी अनुभाग अधिकारियों की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेषित की जा रही है।

3. समिति के सभी सदस्यों और संबंधित अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग को पत्र जारी होने के एक माह के भीतर अवगत करवा दें ताकि निदेशालय की अगली तिमाही बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

4. यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

[signature] 11.01.2022

(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष : 011-24361588
ई-मेल आईडी- rajivkumar.79@dcpw.gov.in

संलग्नक: यथोपरि।

प्रति:-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
2. सभी अनुभाग अधिकारी।
3. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली ।
4. ✓ उप निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरीफोर्ट, नई दिल्ली।
5. स.नि., सूचना और प्रौद्योगिकी- अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग की वेबसाइट (Circular भाग) पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:-

1. निदेशक के प्रधान निजी सचिव।
2. निदेशक (राजभाषा), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आठवां तल, एनडीसीसी-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

11.01.2022
(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार

(राजभाषा अनुभाग)

<u>विषय</u>: समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (दिसम्बर 2021 तिमाही) की कार्यवृत्त।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2021 तिमाही की बैठक श्री रमेश कुमार सिद्धार्थ, भा.दू.से., निदेशक, स.नि.पु.बे. महोदय की अध्यक्षता में दिनाँक 23 दिसम्बर 2021 को 1200 बजे निदेशालय (मुख्यालय) में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गयी। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	
1.	श्री रमेश कुमार सिद्धार्थ, भा.दू.से., निदेशक, स.नि.पु.बे.	अध्यक्ष
2.	श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
3.	डॉ. सुरेश विनायक, संयुक्त निदेशक (संचार)	सदस्य
4.	श्री नरेश कुमार, संयुक्त निदेशक (बीजलेख)	सदस्य
5.	श्री विद्याधर, उप निदेशक (बीजलेख)	सदस्य
6.	श्री एच. एस. श्रीहरी, उप निदेशक (पोलनेट हब)	सदस्य
7.	श्री राजेश कुमार सिंह, उप निदेशक (समन्वय)	सदस्य
8.	डॉ. राजीव कुमार सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय सहित सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैठक में कार्यसूची के अनुसार विचार-विमर्श करके आवश्यक निर्णय लिए गए, जो निम्नानुसार हैं :-

<u>मद संख्या 1</u>. <u>पिछली बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि</u>. बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा निदेशालय की पिछली बैठक जो 10 अगस्त 2021 को सम्पन्न हुई थी उसकी कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

<u>मद संख्या 2.</u> <u>पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा</u>. निदेशालय की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई और निम्नानुसार आवश्यक निर्णय लिए गए :-

(क) <u>हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार</u>. पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में वार्षिक प्रोत्साहन योजना - वर्ष 2019-20 में भाग लेने वाले कार्मिकों के हिंदी कार्यों की जांच हेतु मूल्यांकन समिति का गठन किया गया और मूल्यांकन समिति ने भाग लेने वाले कार्मिकों के हिंदी कार्यों की जांच कर इस योजना में भाग लेने वाले सात पात्र पाए गए कार्मिकों को पुरस्कार देने हेतु अपनी संस्तुति दी। इन कार्मिकों को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) और गृह मंत्रालय के दिनांक 04 अगस्त 2020 के पत्र संख्या 11027/01/2016-हिंदी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत किया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी यदि समिति की अनुमति हो, तो निदेशालय में हिंदी में कार्य करने के लिए वार्षिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2020-21 के अंतर्गत नाम मांगे जा सकते हैं। निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी हिंदी में कार्य करने के लिए वार्षिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में भाग लेने वाले कार्मिकों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में मंगाया जाए तथा उनके हिंदी कार्यों का मूल्यांकन एवं पुरस्कार हेतु निर्णायक समिति का गठन कर पुरस्कार देने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

कार्रवाई- सभी अनुभाग/अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र और हिंदी अनुभाग।

(ख) **<u>वार्षिक पाठ्यक्रम समिति रिपोर्ट-2020 का हिंदी रूपांतरण</u>.** वार्षिक पाठ्यक्रम समिति रिपोर्ट-2020 का हिंदी अनुवाद के पश्चात इसे सी.पी.आर.टी.आई. को अग्रेषित करने के निर्णय पर सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि हिंदी अनुभाग द्वारा इसका अनुवाद कर इसकी प्रति सी.पी.आर.टी.आई. को अग्रेषित कर दी गयी है। इस विषय पर संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि चूंकि पाठ्यक्रम में अधिकांश तकनीकी शब्द होने के कारण एक समिति द्वारा हिंदी के तकनीकी शब्दों की सुसंगतता की जांच अपेक्षित है। इस पर विस्तृति चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि पाठ्यक्रम के हिंदी रूपांतरण में तकनीकी शब्दों की जांच एवं समीक्षा हेतु एक जांच समिति का गठन किया जाए जो हिंदी के तकनीकी शब्दों की जांच कर इसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर हिंदी रूपांतरण में यदि कोई सुधार अपेक्षित हो तो उसमें सुधार करके इसे अंतिम रूप दे, जिसे प्रकाशित किया जा सके। साथ ही निर्णय लिया गया कि सी.पी.आर.टी.आई. के लिए हिंदी की तकनिकी शब्दावली खरीदी जाएं।

कार्रवाई- केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी अनुभाग।

(ग) **<u>अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक/हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन</u>.** समिति को सूचित किया गया कि निदेशालय के सभी 31 अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों में दिसम्बर 2021 तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक और हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। निर्णय लिया गया कि सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र प्रत्येक तिमाही में राजभाषा हिंदी की तिमाही बैठक/हिंदी कार्यशाला का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे और इसकी सूचना निदेशालय के हिंदी अनुभाग को देंगे।

कार्रवाई- सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र/हिंदी अनुभाग ।

(घ) **<u>हिंदी पत्राचार बढ़ाने के लिए अनुभागों को पत्र जारी करना.</u>** निर्णय लिया गया था कि जिन अनुभागों का हिंदी पत्राचार पिछली तिमाही की तुलना में यानी मार्च 2021 तिमाही की तुलना में जून 2021 तिमाही में कम हुआ है, उन्हें हिंदी पत्राचार के प्रतिशत को बढ़ाने हेतु पत्र लिखा जाए ताकि निदेशालय का हिंदी पत्राचार और अधिक बढ़ सके। समिति को सूचित किया गया कि हिंदी अनुभाग द्वारा जिन अनुभागों का (क्रय, समन्वय, बीजलेख, कार्यशाला व पोलनेट अनुभाग) हिंदी पत्राचार मार्च 2021 तिमाही की तुलना में जून 2021 तिमाही में कम हुआ था, उन्हें पत्र लिखकर पत्राचार को बढ़ाने हेतु आग्रह किया गया था। सितम्बर 2021 तिमाही में इन अनुभागों का हिंदी पत्राचार जून तिमाही की तुलना में बढ़ा है। फलस्वरूप, समग्र रूप से निदेशालय का हिंदी पत्राचार बढ़ा है। समिति द्वारा इस पर प्रसन्नता जाहिर की गई।

(ड) **<u>हिंदी पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी निर्णय</u>.** सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि हिंदी पुस्तकालय हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी निर्णय के अनुसरण में निदेशालय में तीन अधिकारियों की एक क्रय समिति का गठन किया गया है। निदेशालय के अनुभागों से प्राप्त पुस्तकों की सूची और ज्ञान-विज्ञान से संबंधित उपयोगी पुस्तकों की सूची तैयार कर इस कार्य को निष्पादित करने के लिए पुस्तक प्रकाशकों से कोटेशन मांगे गए हैं और कुछ प्रकाशनों से कोटेशन प्राप्त हो चुके हैं। पुस्तकों की खरीद से संबंधित आपूर्ति आदेश हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई- गठित निर्णायक समिति/हिंदी अनुभाग।

(च) **<u>हिंदी टंकक हेतु भर्ती का प्रस्ताव</u>.** सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि पिछले बैठक में निर्णय लिया गया था कि निदेशालय में हिंदी टंकण हेतु प्रशासन अनुभाग द्वारा एक हिंदी टंकक की भर्ती हेतु प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगा, जिससे निदेशालय में हिंदी टंकण के लिए टंकक की सहायता ली जा सके और इससे हिंदी पत्राचार में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी, चूंकि समिति को इसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं थी और प्रशासन अनुभाग के सदस्य अधिकारी ड्यूटी में बाहर होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं थे, इसलिए अध्यक्ष महोदय ने कार्यवाहक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) श्री आर.के. वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) से जानकारी चाहा कि इस विषय पर क्या प्रगति है, इसके बारे में बैठक की समाप्ति के बाद अवगत कराया जाए और तदनुसार कार्रवाई की जाए।

कार्रवाई- प्रशासन अनुभाग।

(छ) **कार्यालय के दो और अनुभागों को संपूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु नामित करने का निर्णय**. पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि निदेशालय के दो और अनुभागों को हिंदी में काम करने हेतु संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया इस संबंध में हिंदी अनुभाग द्वारा एक फाइल सभी संयुक्त निदेशकों के पास चलाई गई थी। संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा भंडार अनुभाग को हिंदी में कार्य करने हेतु नामित करने की अनुशंसा की गई और संयुक्त निदेशक (संचार) द्वारा उनके अंतर्गत संचार अनुभाग के एक यूनिट के रूप में कार्यरत 'संचार केन्द्र' को अपना सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु नामित करने की अनुशंसा की गयी। इस प्रकार वर्तमान में कुल 3 संपूर्ण अनुभाग (प्रशासन, क्रय और भंडार अनुभाग) तथा संचार अनुभाग के अंतर्गत कार्यरत संचार केन्द्र, जोकि संपूर्ण अनुभाग नहीं है, को अपना काम हिंदी में करने हेतु नामित किया गया है। जबकि 40 प्रतिशत अनुभागों के लक्ष्य के अनुसार निदेशालय के 13 अनुभागों में से 5 अनुभागों को नामित किया जाना अपेक्षित है। संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) ने बताया कि सी.पी.आर.टी.आई. ने अपने कुछ डेस्क को हिंदी में पूर्ण रूप से काम करने के लिए कहा है, जैसे- सी.पी.आर.टी.आई. लैब आदि। इस विषय पर समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि अनुभाग में किसी टेबल को अपना काम पूर्णत: हिंदी में करने हेतु नामित किया जा सकता है। निदेशक महोदय ने कहा कि यह अच्छा सुझाव है, अनुभागों में टेबल वाइज अपना काम हिंदी में करने के लिए संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी आपस में एक बैठक करें और आपस में चर्चा करके अनुभागों को नामित करने हेतु निर्णय लें।

कार्रवाई- सभी संयुक्त निदेशक।

(ज) **हिंदी कार्यशाला का आयोजन**. सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि निदेशालय के कार्मिकों की हिंदी में कार्य करने की झिझक को दूर करने हेतु समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में दिनांक 17 नवम्बर 2021 को ऑनलाइन माध्यम से एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यालय सहित अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के 06 अधिकारियों और 36 कर्मचारियों ने भाग लिया।

(झ) **ऑनलाइन गहन हिंदी कार्यशाला**. सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 22 नवम्बर से 26 नवम्बर 2021 तक संचालित ऑनलाइन गहन हिंदी कार्यशाला में निदेशालय के छह कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया। साथ ही सितम्बर 2021 माह में संचालित की गई इस कार्यशाला में निदेशालय के सात कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया था।

(ञ) **मासिक हिंदी प्रतियोगिता/हिंदी गतिविधि का आयोजन**. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्णयानुसार निदेशालय के कार्मिकों की हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करने और उन्हें अपना काम हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निदेशालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अक्टूबर 2021 माह से ही हिंदी प्रतियोगिता/हिंदी गतिविधि का आयोजन किया जा रहा है और इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं। इस विषय पर निदेशक महोदय द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेशालय के हिंदी स्टॉफ की सराहना की गई और इसे भविष्य में भी जारी रखने की अपेक्षा की। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रतियोगिता रखी जाए। निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों के लिए प्रति माह हिंदी प्रतियोगिता/हिंदी गतिविधि आयोजित की जाएगी और अगली तिमाही से अधिकारियों के लिए प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी प्रतियोगिता/हिंदी गतिविधि का आयोजन किया जाएगा जिससे अधिकारियों में हिंदी में काम करने की रूचि उत्पन्न होगी और साथ ही वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी हिंदी में काम करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग।

मद संख्या 3. **पिछली हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा**. बैठक में निदेशालय की पिछली तिमाही प्रगति रिपोर्ट (सितम्बर 2021 की तिमाही) के प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गयी और निम्नानुसार निर्णय लिए गए:-

(क) <u>धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजातों को द्विभाषी जारी करना</u>. निर्णय लिया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजात निश्चित रूप से द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएंगे और इन कागजातों में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि ये कागजात द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाते हैं। ***कार्रवाई- जारी करने वाले अधिकारी।***

(ख) **<u>हिंदी पत्राचार</u>**. सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि हमारा निदेशालय **'क'** क्षेत्र में स्थित है, हमारे निदेशालय के लिए हिंदी पत्राचार का लक्ष्य **'क'** एवं **'ख'** क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत है एवं **'ग'** क्षेत्र के लिए 65 प्रतिशत निर्धारित है। सितम्बर 2021 तिमाही में निदेशालय का हिंदी पत्राचार **'क'** क्षेत्र को **74.18 प्रतिशत** हुआ है, और जो जून 2021 में **61.30** था। इस प्रकार यह जून 2021 की **तिमाही** की तुलना में **12.88 प्रतिशत बढ़ा है। 'ख'** क्षेत्र को सितम्बर तिमाही में **79.42 प्रतिशत** हिंदी पत्राचार हुआ है, जोकि जून 2021 तिमाही की **75.44** प्रतिशत की तुलना में **03.98 प्रतिशत** बढ़ा है। **'ग'** क्षेत्र को सितम्बर 2021 तिमाही में **68.02 प्रतिशत** पत्राचार हुआ है जोकि जून 2021 तिमाही की **67.78 प्रतिशत** की तुलना में **0.24 प्रतिशत बढ़ा** है। इस प्रकार निदेशालय ने **'ग'** क्षेत्र के लिए निर्धारित हिंदी पत्राचार के **65 प्रतिशत** के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

(ग) <u>फाइलों पर हिंदी में लिखी गई टिप्पणियाँ</u>. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा फाइलों/दस्तावेजों पर हिंदी टिप्पणियों का लक्ष्य **75 प्रतिशत** निर्धारित है। जून 2021 की तिमाही में मुख्यालय का हिंदी टिप्पण **73.28** था, जो सितम्बर 2021 तिमाही में **77.43 प्रतिशत** रहा है। इस प्रकार निदेशालय ने सितम्बर 2021 तिमाही में हिंदी टिप्पणियों के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। समिति ने प्रसन्नता जाहिर की कि निदेशालय का हिंदी पत्राचार लगभग 80 प्रतिशत हो चुका है तथा निदेशालय ने **'ग'** क्षेत्र के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य 65 प्रतिशत और हिंदी टिप्पणियों के लिए निर्धारित लक्ष्य 75 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। निर्णय लिया गया कि अनुभागों का हिंदी पत्राचार का प्रतिशत निरंतर बढ़ता रहना चाहिए और फाइलों में हिंदी में की गयी टिप्पणियों का प्रतिशत भी बरकरार रहना चाहिए ताकि निदेशालय निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

कार्रवाई- सभी अनुभाग अधिकारी।

(घ) <u>पिछली तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य</u>. पिछली तिमाही रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए सदस्य सचिव ने अवगत किया कि पिछली तिमाही में समन्वय निदेशालय द्वारा निम्नलिखित उल्लेखनीय कार्य किए गए:-

(अ) **<u>हिंदी पखवाड़ा का आयोजन</u>**. समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (मुख्यालय) एवं इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 06 सितम्बर 2021 से 20 सितम्बर 2021 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान हिंदी भाषा में काम करने के लिए रुचि पैदा करने के उद्देश्य से निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता और हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को निदेशक महोदय द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

(इ) <u>अनुभागों से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट की अनुभाग वार समीक्षा</u>. समिति की बैठक में अनुभागों की सितम्बर 2021 की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा की गई और उसकी तुलना जून 2021 की तिमाही रिपोर्ट से की गयी। निदेशालय के अनुभागों का हिंदी पत्राचार में सितम्बर 2021 तिमाही में बढ़ोत्तरी पाए जाने पर समिति ने प्रसन्न्ता जताई और सी.पी.आर.टी.आई. के हिंदी पत्राचार में पिछली तिमाही की तुलना में आई कमी पर निदेशक महोदय ने संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) को सी.पी.आर.टी.आई. के हिंदी पत्राचार को बढ़ाए जाने के लिए ध्यान देने को कहा।

कार्रवाई- सभी अनुभाग अधिकारी/सी.पी.आर.टी.आई.

<u>मद संख्या 4</u>. <u>वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 में दिए गए लक्ष्यों पर चर्चा</u>. बैठक में वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 में दिए गए लक्ष्यों पर मदवार चर्चा की गयी। सदस्य सचिव द्वारा सभी मदों पर प्रगति रिपोर्ट और निदेशालय द्वारा प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी विस्तार से दी गयी। वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के क्रम में निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

(क) **<u>हिंदी में मूल पत्राचार</u>**. इस पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया कि सभी अनुभाग हर तिमाही में उनके द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्य से कम हिंदी पत्राचार नहीं करेंगे तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंदी पत्राचार में क्रमिक बढ़ोतरी करेंगे जिससे निदेशालय के हिंदी पत्राचार में बढ़ोतरी होगी और हमारा निदेशालय निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

कार्रवाई - सभी सदस्य/सभी अनुभाग

(ख) **<u>हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना</u>**. राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में ही देने की जिम्मेवारी इन पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होती है। निर्णय लिया गया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में ही दिया जाएगा।

कार्रवाई - हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी

(ग) **<u>हिंदी में टिप्पण</u>**. हमारे निदेशालय के लिए वार्षिक लक्ष्य 75 प्रतिशत है। सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निदेशालय द्वारा 75 प्रतिशत का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। निर्णय लिया गया कि लक्ष्य को बरकरार रखा जाएगा और अनुभागों का हिंदी टिप्पण किसी भी तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में कम नहीं होगा।

(घ) **<u>हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती</u>**. हमारे निदेशालय के लिए लक्ष्य 80 प्रतिशत है। सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भर्ती की प्रक्रिया एस.एस.सी. द्वारा संचालित की जाती है।

(ङ) **<u>हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>**. हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का वार्षिक लक्ष्य 70 प्रतिशत है। इस संबंध में सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निदेशालय के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण हिंदी और मिली-जुली भाषा में संचालित किया जाता है। संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) ने हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम, जोकि 70 प्रतिशत निर्धारित है, इस पर जानकारी दी कि सी.पी.आर.टी.आई. में अधिकांश संकाय सदस्य हिंदी भाषी हैं और वे हिंदी में ही प्रशिक्षण देते हैं। इसप्रकार, 70 प्रतिशत प्रशिक्षण हिंदी माध्यम से दिया जाता है।

(च) **<u>द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना</u>**. प्रशिक्षण सामग्री के 100 प्रतिशत द्विभाषी के लक्ष्य पर चर्चा करने पर सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि सी.पी.आर.टी.आई. से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां लगभग 5817 प्रशिक्षण सामग्री पुस्तकों के रूप में हैं, जिसमें से 314 प्रशिक्षण सामग्री हिंदी में है। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया कि अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद संभव नहीं है, और इनका हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से जो पुस्तकें बाजार में हिंदी में उपलब्ध हैं उन्हें सी.पी.आर.टी.आई. द्वारा खरीद कर मंगा लिया जाए और उसका रिकॉर्ड रखा जाए।

कार्रवाई - केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान

(छ) **<u>हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)</u>**. हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि) हेतु निर्धारित 100 प्रतिशत लक्ष्य पर चर्चा करते हुए सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि निदेशालय के लगभग 90 प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है। कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार श्री एच.एस. श्रीहरी, उप निदेशक (पोलनेट हब) और श्री एस.चटर्जी, ए.सी.ओ. को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, जिन्हें हिंदी प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाना है। साथ ही निदेशालय में कार्यरत श्रीमती शकुन्तला चौहान, निजी सचिव अंग्रेजी आशुलिपि हैं इन्हें हिंदी आशुलिपि के लिए नामित किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि सदस्य सचिव यह जानकारी हासिल करें कि क्या ये प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं, यदि ऐसा हो, तो अगली तिमाही में इन अधिकारियों को हिंदी भाषा प्रशिक्षण और हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए।

कार्रवाई - सदस्य सचिव/हिंदी अनुभाग

(ज) **<u>हिंदी में डिक्टेशन/ की-बोर्ड पर सीधे टंकण</u>**. सदस्य सचिव ने हिंदी में डिक्टेशन/ की-बोर्ड पर सीधे टंकण हेतु निर्धारित 65 प्रतिशत लक्ष्य पर चर्चा करते हुए कहा कि यह लक्ष्य अधिकारियों के लिए है और अभी तक

निदेशालय द्वारा 50 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है, इसलिए उन्होंने सभी अधिकारियों द्वारा इसमें थोड़ा और गति लाने हेतु सभी सदस्यों से अनुरोध किया।

(छ) <u>पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजीटल वस्तुओं सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय.</u> लक्ष्य 50 प्रतिशत है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि हिंदी पुस्तकालय हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद हेतु कार्रवाई प्रगति पर है। इसके लिए एक क्रय समिति गठित की गई है।

कार्रवाई - समिति के सभी सदस्य/ हिंदी अनुभाग

(ज) <u>कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण.</u> लक्ष्य 25 प्रतिशत है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि इस वर्ष अभी तक कोविड-19 महामारी की व्यापकता और ओमीक्रॉन के नए वैरिएंट के कारण निदेशालय के बाह्य केन्द्रों का राजभाषाई निरीक्षण नहीं किया जा सका है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी 25 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुसार 31 केन्द्रों में से 08 केन्द्रों का निरीक्षण किया जाना है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि कोविड-19 महामारी की स्थित सामान्य होने पर उनके द्वारा अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों का निरीक्षण किया जाएगा।

कार्रवाई - सहायक निदेशक (राजभाषा)

(झ) <u>मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण.</u> लक्ष्य 25 प्रतिशत है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि इस वर्ष अभी तक कोविड-19 महामारी की व्यापकता और ओमीक्रॉन के नए वारिएंट के कारण निदेशालय के अनुभागों का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं किया गया है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी 25 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुसार 13 अनुभागों में से 04 अनुभागों का निरीक्षण किया जाना है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि कोविड-19 महामारी की स्थित सामान्य होने पर उनके द्वारा अनुभागों का निरीक्षण किया जाएगा।

कार्रवाई - सहायक निदेशक (राजभाषा)

(ट) <u>नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक.</u> लक्ष्य वर्ष में 02 बैठकों का है। सदस्य सचिव द्वारा समिति को सूचित किया गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लेने हेतु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, जबकि नराकास कार्यालय को इस विषय पर दो बार पत्र भी भेजा जा चुका है। तथापि, अक्टूबर 2021 में आयोजित बैठक की कार्यवृत्त प्राप्त हुई है।

(ठ) <u>राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक.</u> लक्ष्य वर्ष में 04 बैठकों का है। समिति को सूचित किया गया है कि निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक प्रत्येक तिमाही में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में नियमित रूप में आयोजित की जाती है और इसकी कार्यवृत्त समिति के सभी सदस्यों को आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित की जाती है तथा कार्यवृत्त निदेशक राजभाषा (गृह मंत्रालय) को भी सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है।

(ड) <u>कार्यालयों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों.</u> लक्ष्य 40 प्रतिशत है यानी निदेशालय के 13 अनुभागों में से 5 अनुभाग अपना पूरा काम हिंदी में करने हेतु विर्निदिष्ट किए जाने चाहिए। वर्तमान में 03 अनुभाग प्रशासन, क्रय एवं भंडार अनुभाग हिंदी में कार्य करने हेतु नामित हैं तथा संचार अनुभाग के अंतर्गत कार्यरत यूनिट संचार केन्द्र को भी नामित किया गया है। इस संबंध में कार्यसूची के मद संख्या 2 (छ) में निर्णय ले लिया गया है।

<u>मद संख्या 5.</u> **<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर चर्चा</u>.**

इस विषय पर सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर भारत सरकार, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (सीआईसी) से उनके दिनांक 06 दिसम्बर 2021 के पत्र संख्या 11017/01/2020-हिंदी के अंतर्गत **''कार्यालयीन कामकाज में अधिकाधिक पत्राचार/टिप्पण हिंदी में करना''** विषय पर प्राप्त पत्र के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया कि इस पत्र की प्रति सभी संयुक्त निदेशकों को आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित की जाए।

कार्रवाई. हिंदी अनुभाग/सभी संयुक्त निदेशक

तदोपरांत अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से उनके सुझाव पूछे, जो इस प्रकार से थे:-

(क) सदस्य सचिव ने अवगत किया कि संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली में एक प्रश्न यह भी रहता है कि कार्यालय में उप सचिव/समकक्ष या उससे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जा रहा है। राजभाषा नियम 12 के अनुसार कार्यालय में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करवाना समग्र रूप से प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायत्वि है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर पर कितने पत्र हिंदी में भेजते हैं, कृपया यह सुनिश्चित करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी हिंदी में काम करने हेतु प्रोत्साहित करें।

कार्रवाई. समिति के सभी सदस्य

(ख) श्री आर.के. वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) का सुझाव था कि प्रत्येक तिमाही में अधिकारियों के लिए आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रतियोगिता /हिंदी गतिविधि में किसी अधिकारी द्वारा तकनीकी विषय की जानकारी देने हेतु आधा घंटे का व्याख्यान दिया जा सकता है, इससे सभी अधिकारियों को हिंदी के तकनीकी शब्दों की जानकारी भी मिलेगी और साथ ही इससे हिंदी में काम करने की रूचि भी उत्पन्न होगी। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया कि इसके लिए विषय के शीर्षक का चयन पहले से ही किया जाना चाहिए।

कार्रवाई. हिंदी अनुभाग

(ग) श्री आर.के. वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) का सुझाव था कि विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन से पूर्व समिति के सभी सदस्यों को बैठक में किस विषय पर चर्चा होनी है इसके बारे में बैठक आयोजित होने से 15 दिन पूर्व सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे पूरी तैयारी करके आएं और बैठक में विचार विमर्श कर व्यापक चर्चा हो सके। उनके इस सुझाव पर सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैठक के आयोजन की सूचना कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सभी सदस्यों को दी जाती है और जिसमें अनुभागों की तिमाही रिपोर्ट का तुलनात्मक डाटा और वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्रति भी अनुलग्नक के रूप में भेजी जाती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि बैठक के आयोजन से 15 दिन पूर्व सदस्य सचिव द्वारा बैठक के आयोजन और उसमें की जाने वाली चर्चा और अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में समिति के सभी सदस्यों को एक सलाह (एडवाइजरी) जारी की जाए, जिससे सभी सदस्य बैठक के लिए तैयारी करके आ सकें और बैठक में व्यापक चर्चा हो सके।

कार्रवाई. सभी सदस्य/हिंदी अनुभाग

(घ) **अध्यक्ष महोदय का संबोधन/निर्णय**. अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि निदेशालय का हिंदी पत्राचार बढ़ा है। सभी अनुभाग और अनुभाग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अनुभाग का हिंदी पत्राचार और फाइलों में लिखी जाने वाली हिंदी टिप्पणियों का प्रतिशत निरंतर बढ़ते रहना चाहिए और इसमें कमी नहीं आनी चाहिए ताकि निदेशालय हिंदी पत्राचार/टिप्पणियों के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर सके। साथ ही उन्होंने अपेक्षा कि सहायक निदेशक (राजभाषा) इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन रिपोर्ट लेने और हिंदी पत्राचार को बढ़ाने हेतु समय-समय पर सभी संबंधितों को पत्र जारी करते रहेंगे।

कार्रवाई. सभी अनुभाग अधिकारी/सहायक निदेशक (राजभाषा)

अंत में कोई मद नहीं होने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में लिए गए निर्णयों पर सभी अधिकारियों द्वारा अपने-अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई और सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए **'ई'** बैठक के समापन की घोषणा की गयी।

11.01.2022

(डॉ राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)